न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 322 सन 2019

अनवान :–

1. हेतराम पुत्र राजाराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजाराम पुत्र रावताराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

3. रामकुमार पुत्र राजाराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर ।
4. भागोदेवी पुत्री राजराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर ।
5. कृष्णा पुत्री राजराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मैनेजर औ.बी.सी बैक शाखा नोहर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिदीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 559/537 के खसरा न0 9/4 की 11.0910हैक खसरा न0 11/3 की 0.2530हैक कुल 11.3440हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम का 1/3 हिस्सा यानी 3.7813हैक तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 166/183 के खसरा न0 31/2 की 2.2750हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावता पुत्र रामु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावता पुत्र रामु के देहान्त होने पर बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावता पुत्र रामु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खालेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रावता पुत्र रामु के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 559/537 के खसरा न0 9/4 की 11.0910हैक खसरा न0 11/3 की 0.2530हैक कुल 11.3440हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 पोहलाराम का 1/3 हिस्सा यानी 3.7813हैक तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 92/183 के खसरा न0 31/2 की 2.2750हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावता पुत्र रामु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावता पुत्र रामु का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावता पुत्र रामु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 5 नें स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 559/537 के खसरा न0 9/4 की 11.0910हैक खसरा न0 11/3 की 0.2530हैक कुल 11.3440हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 पोहलाराम का 1/3 हिस्सा यानी 3.7813हैक तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 166/183 के खसरा न0 31/2 की 2.2750हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
ओसियां

भु0 प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि रावता पुत्र रामु के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रावता पुत्र रामु के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावता पुत्र रामु के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ता 5 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,4, 5 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 559/537 के खसरा न0 9/4 की 11.0910हैक खसरा न0 11/3 की 0. 2530हैक कुल 11.3440हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम का 1/3 हिस्सा यानी 3. 7813हैक तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 168/183 के खसरा न0 31/2 की 2. 2750हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 9/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हेतराम पुत्र राजाराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजाराम पुत्र रावताराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

3. रामकुमार पुत्र राजाराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर ।
4. भागोदेवी पुत्री राजराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर ।
5. कृष्णा पुत्री राजराम जाति भाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मैनेजर औ.बी.सी बैक शाखा नोहर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिदीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 322 सन 2019 निर्णय दिनांक– 09/12/2019

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 559/537 के खसरा न0 9/4 की 11.0910हैक खसरा न0 11/3 की 0.2530हैक कुल 11.3440हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम का 1/3 हिस्सा यानी 3.7813हैक तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 160/183 के खसरा न0 31/2 की 2.2750हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)